

Ref: ISD/20-21/127

July 08, 2021

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code-532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
--	--

Dear Madam /Sir,

Subject: Notice of 19th Annual General Meeting and Annual Report 2020-21
Ref.: Our earlier letter Ref. No.ISD/21-22/110 dated June 30, 2021

In compliance with Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the Annual Report 2020-21 containing Notice of Annual General Meeting (AGM) of the Bank schedule to be held on August 10, 2021 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The Annual Report of the Bank for the year 2020-21 has also been made available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in.

Thanking you.

Yours faithfully,

Mangesh Mandrekar
(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Encl.: As above

19वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 की विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की 19वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक को अभिप्रेत स्थान) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार:

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2021 के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

विशेष कारोबार:

मद क्र. 2

पूंजी की उगाही

विचारोपरान्त उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम") की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("योजना") के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 ("विनियमन") एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्वधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियमन], सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्वधीन बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की

जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाए एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर ऐसे इक्विटी शेयर और/ अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो, रु. 3,500 करोड़ (रुपये तीन हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) के इक्विटी शेयर जो रु. 6834.74 करोड़ (रुपये छः हजार आठ सौ चौतीस एवं चौहतर करोड़ मात्र), के विद्यमान पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी सहित बैंक के कुल रु. 10000 करोड़ के प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस धारा की 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार कि किसी भी स्थिति में भारत के केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो; एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/ या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए".

"पुनः संकल्प किया कि इक्विटी/अधिमान शेयर प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईबी); फॉलोऑन पब्लिक निर्गम, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह शेयरधारकों के साथ या उसके बिना, उनकी पात्रता को त्यागते हुए, आम शेयरधारकों की अधिकार निर्गम, डिपॉजिटरी रसीद/ एडीआर/ जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट, एम्लॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम या बैंक के एम्लॉयी स्टॉक पर्वेस स्कीम या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, इक्विटी / अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थापन या आबंटन, अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"पुनः संकल्प किया कि उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम

न हों, तो लीड मैनेजरों और/ या हमीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/ या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी अन्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, और/ या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

“पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजार के साथ किए गए लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बेटक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में “सम्यक प्राधिकारी” कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत के केंद्र सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो।”

“पुनः संकल्प किया कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

- ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा। ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
- बी) आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है।
- सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार होगा।”

“पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/ एफआईआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन द्वारा किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों, यथालागू द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अधधीन होगा।”

“पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बेटक) विनियमन, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अधधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे।”

“पुनः संकल्प किया कि निर्गमित इक्विटी शेयरों को, स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर्स, अभिगोपक(कों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) तथा अन्य ऐसी एजेंसी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य

संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है।”

“पुनः संकल्प किया कि ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है।”

मद क्र. 3:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) के भाग 9 (3) (i), जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद “बीआर अधिनियम” के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद “योजना” के रूप में संदर्भित) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियमन, 1998 (इसके बाद “विनियमन” के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाए एवं पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए “उपयुक्त एवं यथोचित” मानदंड पर अधिसूचना क्रमांक डीबीआर.एटीटीपी.नं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 को जारी “आरबीआई के मास्टर निर्देश” जो (इसके बाद “आरबीआई के मास्टर निर्देश” के रूप में संदर्भित और इसके बाद यदि कोई संशोधन हो तो) जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशकों हेतु विचार करने के लिये भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2015 और दिनांक 8 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों (इसके बाद “भारत सरकार के दिशानिर्देश” के रूप में संदर्भित एवं इसके अतिरिक्त संशोधन, यदि कोई हो,) के साथ पढ़ा जाए, के नियमों के अनुसार प्राप्त वैध नामांकनों में से केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव करने के लिए और विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि अधिनियम 1970, के खंड 9(3)(i) के अनुसार, जिसे इसके आधार पर बनी संबंधित योजना, विनियमन एवं अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित एक

निदेशक, को बैंक के निदेशक के रूप में एतद्वारा निर्वाचित किया गया जो चयनित तारीख/ चयनित माने हुए तारीख से कार्यग्रहण करेंगे और कार्यग्रहण की तिथि से 3 साल पूरा होने तक इस पद पर रहेंगे”.

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(मंगेश मांद्रेकर)

स्थान: मुंबई
दिनांक : 05.07.2021

(मंगेश मांद्रेकर)
कंपनी सचिव

नोट्स

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन

ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (“एमसीए परिपत्र”) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 एवं 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020 एवं 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी परिपत्र”) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (“सूचीबद्धता विनियमन”), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक महासभा (एजीएम) बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. कारोबार मद क्र. 2 एवं 3 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 19वीं एजीएम में वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं.

बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है।

- सी) केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- डी) एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- ई) चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।
- एफ) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात 10.45 (आईएसटी) पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित में वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है। वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 14(vii) में वर्णित विवरणों के साथ <https://emeetings.kfintech.com> में कृपया जुड़ें। बैठक के दौरान या उससे पहले तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है।
- जी) सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी। बड़े शेयरधारकों (अर्थात ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं। संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम

सुविधा के माध्यम से 19वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी।
- आई) चूंकि एजीएम, वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जाती है। अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और एमसीए परिपत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा कोई प्रोक्सी स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- जे) वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम **रविवार, 8 अगस्त, 2021 को शाम 5 बजे** तक किया जा सकता है। स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें। बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 12 में प्रदत्त, अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलीओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.com भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रूप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं।
- के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंग: <https://ris.kfintech.com/client-services/mobileereg/mobileemailreg.aspx> में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं।
- एल) भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, 4 अगस्त, 2021** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रेस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयर धारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे

पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे.

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तदनुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इस कारण, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय, निगम, जो बैंक का शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को investorservices@unionbankofindia.com पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 5 अगस्त, 2021** को कार्य-समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाता है.

5. बुक क्लोजर

एजीएम के उद्देश्य के लिए बैंक का शेयरधारक रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक **बुधवार, 04 अगस्त, 2021 से मंगलवार, 10 अगस्त, 2021** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे.

6. अदावाकृत / अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें ``अदत्त लाभांश खाते`` में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त ``अदत्त लाभांश खाते`` में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 (अन्तरिम) तक के अदत्त लाभांश को आईडीपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वर्ष 2013-14 (अंतिम) से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/ CustomerList.aspx> का अवलोकन कर सकते हैं. अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है.

7. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैनडेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (``डीपी``) के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैनडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. ऐसे परिवर्तनों से शेयरधारक के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अवगत कराया जाए.

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें:

डाटा मैटिक्स बिजनेस सोल्यूशंस लि.,

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट बी, एमआईडीसी,

क्रॉस लेन, मरोल,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.

दूरभाष संख्या: 022-66712001-6.

सी) बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है.

डी) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

ई) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें .

8. स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटा मैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशंस लि. को तत्काल सूचित करें:

- ए) स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.
- बी) भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

9. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कोविड-19 महामारी और लॉक डाउन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 की भौतिक प्रतियाँ नहीं दी जाएंगी और यह केवल उन शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी बैंक या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है. बैंक की वेबसाइट एवं स्टॉक एक्सचेंज पर वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी. ई-मेल आईडी अद्यतन के लिए शेयरधारक भौतिक शेयरों के मामले में रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को या शेयर डिमेट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को संपर्क करें.

10. कट ऑफ तिथि

चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु:

कार्यकाल अवधि अर्थात् 12 जुलाई, 2021 की समाप्ति तक एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त शेयरधारकों के रजिस्टर में जिन शेयरधारकों के नाम हितधारक स्वामित्व के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं वे चुनाव में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात् सूचना के कारोबार मद क्र. 3 में वर्णित के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से ही निदेशक के लिए चुनाव में नामित होने एवं चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे.

ई-वोटिंग के लिए:

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1, 2 एवं 3 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को बुधवार 4 अगस्त, 2021 को मान्यता दी जाएगी.

11. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, 4 अगस्त, 2021 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

12. लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं के संबंध में जानकारी

जो शेयरधारक लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे, अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.com पर मेल करें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व बैंक को 8 अगस्त, 2021 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे. कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब किए जाएंगे जो कट-ऑफ तारीख यथा 4 अगस्त, 2021 को शेयरधारक हैं.

साथ ही, जिन शेयरधारकों के पास कट-ऑफ तारीख को शेयर उपलब्ध हैं वे <https://emeetings.kfintech.com> वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और “post your queries here” पर क्लिक करके प्रश्न/शंकाओं को पोस्ट कर सकते हैं. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, विंडो सक्रिय हो जाएगा और 8 अगस्त, 2021 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा.

13. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक भागीदार को स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं बैंक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है. सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखते हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपने पैन का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें. भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को अपने पैन का विवरण प्रस्तुत करें. सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से केवल अमूर्तीकृत रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है. भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि अपने रखे हुए भौतिक शेयरों से संबंध सभी जोखिमों को दूर करने के लिए अमूर्तीकरण रूप में बदलने पर विचार किया जाए और पोर्टफोलियों प्रबंधन की सुविधा के लिए वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें, जहां वे डीमेट खाते को संचालित करते हैं.

14. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

- i. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (“आईसीएसआई”) द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक महासभा में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है।

- ii. वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा में रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे।
- iv. वार्षिक महासभा से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक महासभा के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी।
- v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार, 7 अगस्त, 2021 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर सोमवार, 9 अगस्त, 2021 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक** रहेगी। बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख **बुधवार, 4 अगस्त, 2021** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कारोबार कार्यसूची 1, 2 एवं 3 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- vi. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं कटऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, 4 अगस्त, 2021** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.com पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक evoting@kfintech.com को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **9 अगस्त, 2021 सायं 5.00 बजे से पूर्व** लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- vii. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग निम्नानुसार है:
सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर 2020 के अनुसार **डीमैट मोड** में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें।

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1.आईडीईएस सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पहले ही पंजीकृत है : I. यूआरएल : https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएस" सेक्शन में "बेनीफिसियल ओनर" आइकॉन पर क्लिक करें. III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सैस टु ई-वोटिंग" पर क्लिक करें. IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे .	1. विद्यमान उपयोगकर्ता जिसके पास ईजी/इजीयस्ट का विकल्प है I. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com II. नई प्रणाली माईईजी पर क्लिक करें. III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें. IV. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा. V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें .
2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएस" के लिए "ऑनलाइन पंजीयन" चुने III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें. 3. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें. 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट जाकर I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ II. "अंशधारक/सदस्य" सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकॉन पर क्लिक करें. III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16- अंकों का डी-मैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्टि करें. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं. V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे.	2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो I. पंजीकरण का विकल्प पर लिंक उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें. 3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट जाकर I. यूआरएल: www.cdslindia.com II. डी-मैट खाता एवं पैन संख्या प्रदान करें. III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डी-मैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है.

महत्वपूर्ण नोट:

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए / पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क.

एनएसडीएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए	सीडीएसएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए
लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।	लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 या 022-23058542- 43 पर संपर्क कर सकते हैं।

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों – डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के जरिए लॉगिन

आप ई-वोटिंग सविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।

भौतिक स्वरूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति

- ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है।
- इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में <https://evoting.kfintech.com> यूआरएल टाइप करें।
- आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लिक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा। तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- आप पासवर्ड चेंज मैनुअल में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा। नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@, #, \$ आदि) होने चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

एफ. आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा।

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको **EVENT** अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा।

एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।

आई. 'SUBMIT' बटन पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। पुष्टि हेतु 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' को क्लिक करें। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग अवधि के दौरान जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं।

जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डीमैट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।

के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो info@jmja.in ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVEN No.....' के प्रारूप में रखें।

viii. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें।

ix. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेजें या 1800309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात **बुधवार, 4 अगस्त, 2021** को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।

- xi. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.
- xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.
- xiii. मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी ढंग से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें.
- xiv. वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

15. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट: <https://evoting.kfintech.com> उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

16. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे.

17. बैठक का परिणाम

बैंक के प्रधान कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अधधीन संकल्प (पों) को पारित माना जाएगा.

18. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक महासभा की कार्यवाही को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अधीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

19. शेयरधारक निदेशक हेतु उम्मीदवार के लिए योग्यता

उम्मीदवार अधिनियम की धारा 9(3ए) में निर्दिष्ट पात्रता का अनुपालन करेंगे एवं योजना के खंड 10 में विनिर्दिष्ट अपात्रता से प्रभावित नहीं होंगे तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 में वर्णित शर्तों को पूरा करेंगे, जो निम्नलिखित हैं:

- (ए) अधिनियम के धारा 9(3ए) के संदर्भ में, उम्मीदवार जो बैंक के शेयरधारक होने के नाते और अधिनियम की धारा 9(3)(1) के तहत बैंक के निदेशक के रूप चुने जाने की इच्छा रखता है तो
 - (ए) निम्नलिखित एक या एक से अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए अर्थात:
 - कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना, भारतीय रिजर्व बैंक के राय में बैंक के लिए काफी उपयोगी है.
 - बी) जमाकर्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करना ; या
 - सी) किसानों, कर्मियों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना

- बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, बैंक के शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक चुने जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को उपयुक्त एवं उचित स्थिति में होना चाहिए.
- सी) इसके साथ ही, चयनित निदेशक को प्रसंविदा के विलेख को निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.

20. बैंक के निदेशक रूप में चयनित न किए जाने की अयोग्यता:

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार, उम्मीदवार को बैंक के निदेशक के रूप में चयनित करने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा यदि :
 - ए) यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान निलंबित किया गया हो या ऋणदाताओं के साथ समझौता किया हो ; या
 - बी) यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए और सक्षम अदालत द्वारा इसकी घोषणा की गई हो ; या
 - सी) यदि उसे नैतिक अधमता जैसे अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो; या
 - डी) यदि उसने भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) या या भारतीय स्टेट बैंक (सहायकी बैंकों) अधिनियम,

1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के लाभ का पद ग्रहण किया हो, लेकिन पूर्णकालिक निदेशक के लाभ के पद ग्रहण, जिसमें अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक के लाभ के पद शामिल को छोड़कर जिसमें बैंक के कर्मचारी हैं.

और

यदि उन्हें, भारतीय रिज़र्व बैंक- की अधिसूचना डीबीओडी संख्या बी.सी. क्रमांक 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007 और क्रमांक डीबीओडी.बीसी.नं.95 / 29.39.001 / 2010-11 दिनांक 23 मई 2011, पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए “उपयुक्त एवं यथोचित” मानदंड पर आरबीआई के मास्टर निदेश जिनका उल्लेख अधिसूचना क्रमांक डीबीआर.एपीपीटी.नं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 में है जिन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 (बाद में “आरबीआई अधिसूचना” और यदि कोई संशोधन हो तो के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ पढ़ा जाए और भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक ए.फ.नं.16/83/2013-बीओ.ई दिनांक 3 सितंबर 2013, ए.फ.नं.16/51/2012- बीओ.ई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में विचार करने के लिये 25 मार्च 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित किये गए मानदंड (बाद में “भारत सरकार के दिशानिर्देश” और आगे यदि कोई संशोधन हो के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप ‘उपयुक्त और उचित’ व्यक्ति पाया गया.

21. चुनाव में भागीदारी

केंद्र सरकार के शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा शेयरधारक/हिताधिकारी स्वामी के रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर में 12 जुलाई, 2021 को दर्ज हैं, वे निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने अर्थात मनोनीत होने एवं चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे.

केंद्र सरकार के शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा शेयरधारक/हिताधिकारी स्वामी के रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर में 04 अगस्त, 2021 को दर्ज हैं, वे निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने अर्थात मनोनीत होने एवं वोट डालने के लिए पात्र होंगे.

22. शेयरधारकों की सूची

12 जुलाई, 2021 तक बैंक के शेयरधारकों की सूची 19 जुलाई, 2021 से 27 जुलाई, 2021 तक नामांकन के प्रस्तुतिकरण के लिये निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 27 जुलाई, 2021 को या उससे पूर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई- 400021, महाराष्ट्र के नाम पर अनुरोध के साथ ₹ 50,000 / - [रुपए पचास हजार मात्र] के भुगतान पर, बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसका भुगतान यूनियन बैंक ऑफ

इंडिया, नरीमन पॉइंट, एमएमओ शाखा को ऑनलाइन अंतरण बैंक के खाता क्र. 378901010036984 आईएफएससी UBIN0537896 में या “यूनियन बैंक ऑफ इंडिया” के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकेगा. तथापि इच्छुक उम्मीदवार अपनी लागत पर सदस्यों के रजिस्टर की जांच भी कर सकते हैं और उसका सार भी प्राप्त कर सकते हैं. यह नोट किया जाए कि नामांकन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 शाम 5.00 बजे** तक है.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए, जिसके लिये अंतिम तिथि 4 अगस्त, 2021 तय की गई है, वे सभी शेयरधारक जिन्होंने अपेक्षित राशि का भुगतान करके 27 जुलाई, 2021 तक बैंक के शेयरधारकों की सूची ले ली है 4 अगस्त, 2021 तक अद्यतन शेयरधारकों की सूची बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं.

मुंबई स्थित बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में 21 जुलाई, 2021 से 26 जुलाई, 2021 तक सभी कार्यदिवसों में अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक सदस्यों का रजिस्टर शेयर धारकों द्वारा निरीक्षण के लिये खुला रहेगा. सभी कार्यदिवसों में प्रतियोगियों को सदस्यों के रजिस्टर के किसी भी भाग का सार लेने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से या प्रासंगिक हिस्से का कंप्यूटर प्रिंट लेने के लिये वे बैंक से अनुरोध कर सकेंगे, जिसका भुगतान करने के लिये प्रति 1000 शब्द ₹ 5 / - के अनुसार गणना की जाएगी.

23. नामांकन

i) नामांकन की वैधता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या - डीबीओडी. संख्या बीसी संख्या 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007, संख्या डीबीओडी संख्या बीसी संख्या 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 एवं अधिसूचना संख्या डीबीआर एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए ‘उचित एवं उपयुक्त’ मानदंड पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवार का निदेशक के रूप में चयन हेतु नामांकन निम्नानुसार मान्य होगा:

ए) दिनांक 12 जुलाई, 2021 को उसके पास भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक / अमूर्तीकृत (डिजिटैरियाइज्ड) रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यूनतम 100 शेयरों की धारिता हो एवं यदि उसका चयन किया गया है, तो दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक एवं उसके बाद उसका/उसके कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 शेयरों की धारिता बनी रहे.

बी) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 एवं अधिसूचना संख्या डीबीओडी संख्या बीसी संख्या 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007, संख्या डीबीओडी बीसी संख्या 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई,

2011 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीआर एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड के निदेशक के चयन के लिए 'योग्य एवं उचित' मानदंड पर आरबीआई के मास्टर निर्देश एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हो।

- (सी) उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बकाया का कोई निर्देश नहीं है।
- (डी) अधिनियम के तहत या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा निर्वाचित निदेशक के लिए कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा नामांकन लिखित रूप में हस्ताक्षरित है, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा एक नामांकन जो एक कंपनी है, के संकल्प द्वारा बना है बनाया जाए, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति होने संबंधी प्रमाणित पारित संकल्प, कंपनी सचिव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन में भेजा जाएगा। मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य, और ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- (ई) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा के साथ होता है, इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के निर्दिष्ट रूपों के अनुसार, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एशुरेंस का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया जाता है कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए तैयार है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम 1998 के तहत वह निदेशक होने के नाते अयोग्य नहीं है और ये नमूना प्रारूपों एवं इस सूचना में नामांकित और घोषणा के अनुसार हैं।

(एफ) नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र निर्धारित विनियमों और संलग्न प्रोफॉर्म के अनुसार है (प्रोफॉर्म बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है। ई-मेल आईडी investorservices@unionbankofindia.com हैं।

ii) नामांकन फार्म जमा करना

निदेशकों के लिए चुनाव लड़ने और उपरोक्त शर्तों के अनुसार योग्य होने पर इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना है

- (ए) विनियमों के तहत निर्धारित और घोषित (डी) (ई) (एफ) के अनुसार उम्मीदवार की ओर से न्यूनतम 100 शेयरधारकों का नामांकन एक साथ, संबंधित दस्तावेजों के साथ, सम्पूर्ण रूप से पूर्ण, कार्यदिवस पर बैठक की तारीख के कम से कम 14 दिन पहले, अर्थात् **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले** कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य में एक अलग सीलबंद लिफाफे में दिया जाए।
- (बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोफॉर्म के अनुसार उपयुक्त एवं उचित स्थिति जानने के लिए एक व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म), बैंक के केंद्रीय कार्यालय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई -

400021, महाराष्ट्र राज्य में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग को संबोधित एक अलग सीलबंद लिफाफे में, संबंधित दस्तावेजों को एक साथ, सम्पूर्ण रूप से पूर्ण, कार्यदिवस पर बैठक की तारीख के कम से कम 14 दिन पहले, अर्थात् **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले** अर्थात् नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पर्याप्त पहले भेजा जाए ताकि बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति/ निदेशक मंडल सक्षम रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार एवं सूचना में उल्लिखित विवरण भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त एवं उचित स्थिति का पता लगा सके।

iii) उम्मीदवारी वापस लेना.

यदि कोई प्रतिभागी अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्यवधि अर्थात् **मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त, 2021 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व** कभी भी बैंक के कंपनी सचिव, निदेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 के पते पर पत्र प्रेषित कर investorservices@unionbankofindia.com पर हस्ताक्षरित व स्कैन किए हुए पत्र को भेजकर ऐसा कर सकता है।

24. निदेशकों की जांच एवं चुनाव

- ए) बैंक द्वारा प्रथम कार्यदिवस अर्थात् **बुधवार, 28 जुलाई, 2021** को नामांकन की जांच की जाएगी तथा अंतिम दिन नामांकन की प्राप्ति के लिए तय की जाएगी और यदि कोई नामांकन अवैध पाया जाता है तो उसके अवैध होने के कारणों को रिकॉर्ड कर नामांकन निरस्त किया जाएगा।
- बी) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में वैध नामांकनों की जांच बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशकों के बोर्ड, जैसा भी मामला हो के अधीन होगा। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंध एक समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक इन दोनों में से अभ्यर्थी के योग्य एवं उचित स्थिति को देखते हुये इन दोनों में कड़े कदम का निर्धारण कर सकती है।
- सी) बैंक नामांकन की समीक्षा के समय या एनआरसी/ निदेशक मण्डल की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से गठन/ दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
- डी) व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म), बोर्ड/ निदेशक मंडल की नामांकन समिति की 'योग्य एवं उचित' दिशानिर्देशों दिनांक 1 नवंबर, 2007, 23 मई, 2011 एवं 24 नवंबर, 2016 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पीएसबी के निदेशक मंडलों के निदेशक चुनने संबंधी 'योग्य एवं उचित' दृष्टिकोण जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक एवं संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा अधिसूचना क्र. डीबीआर. एपीपीटी.नं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 द्वारा जारी किया गया है, के द्वारा की जानेवाली समुचित सावधानी जांच के अधीन होगा।
- ई) यदि चुनाव में भाग लेने के लिए रिक्तियों में केवल एक नामांकन वैध है, तो उम्मीदवारों के नाम और पता समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे एवं चुनाव आयोजित किए जाएंगे और उम्मीदवार बहुमत

वाले वोटों का मतदान करेंगे यानि बैठक में ई-वोटिंग और मतदान के कुल निर्वाचित समझे जाएंगे और उनके/उनकी नाम की घोषणा की जाएगी एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित किए जाएंगे. ऐसी स्थिति में वार्षिक महासभा बैठक का मद क्र. 3 बैठक में नहीं रखा जाएगा.

एफ) चुनाव आयोजित किए जाने की स्थिति में, यदि एक से अधिक वैध नामांकन हो, तो जो उम्मीदवार चुनाव में अधिकांश मत प्राप्त करते हैं, उन्हें चुनाव माना जाएगा और उनका नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

24. ए निदेशकों का कार्यकाल

वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक द्वारा 29 जुलाई, 2021 से कार्यभार ग्रहण माना जाएगा (यदि संविस्था के उपरांत केवल एक वैध उम्मीदवार पाया जाता है). यदि संविस्था के उपरांत एक से अधिक उम्मीदवार के नामांकन वैध पाये जाते हैं तो, एक निदेशक की रिक्ति को बैठक की तिथि को ही भरा जाएगा एवं नए निदेशक 11 अगस्त, 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे.

योजना के उपवाक्य 9(4) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर अनुदेशों के अनुसार, एक चयनित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेंगे और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि कोई भी निदेशक किसी भी श्रेणी के अंतर्गत छः वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगातार या रुक-रुक कर पद धारण नहीं करेंगे.

24. बी निदेशक का निष्कासन

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अधीन चयनित निदेशक, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं की धारा 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, को निष्कासित/पदच्युत करने का अधिकार है.

24. सी निर्वाचन विवाद

इस संबंध में, विवाद, यदि हो, तो उनका समाधान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 67 के अनुसार किया जाएगा.

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्रमांक 2:

पूंजी की उगाही

बैंक का कारोबार बैंकिंग एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों से हैं. वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.10000 करोड़ हैं. 31 मार्च, 2021 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 6406.84 करोड़ थीं. क्यूआईपी जारी करने करने के पश्चात, बैंक की प्रदत्त पूंजी 21.05.2021 को बढ़कर रु. 6834.74 करोड़ हो गयी.

क्यूआईपी के पश्चात, बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त

पूंजी का 83.49% है. यथा 31 मार्च, 2021 जोखिम भारत आस्तियों की पूंजीगत निधि निम्नानुसार हैं:

पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III		(रु. करोड़ में)	
पैरामीटर	31 मार्च, 2021 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020 (समामेलन पूर्व)
कुल जोखिम भारत आस्तियां	लागू नहीं	5,51,521	2,94,984
कुल पूंजीगत निधि		69,262	37,790
सीईटी 1 पूंजी		50,001	27,714
टियर 1 पूंजी		57,090	31,714
सीआरएआर (%)	10.875	12.56	12.81
सीईटी 1 (%)	7.375	9.07	9.40
टियर 1 (%)	8.875	10.35	10.75
टियर (%)	लागू नहीं	2.21	2.06

नोट: आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में 1.875 प्रतिशत सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सहित (सीआरएआर, सीईटी 1 एयूआर टियर 1) शामिल है. टियर II अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है.

कारोबार आस्तियों की बढ़ोतरी हेतु बासल III दिशानिर्देशों के अधीन पूंजी को बनाए रखने एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने रु. 3,500 करोड़ (रुपये तीन हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) की पूंजी जुटाने का फैसला किया है.

लक्षित कारोबार वृद्धि के विकास एवं उसकी प्राप्ति और सामान्य उधारी के उद्देश्य हेतु विनियामक अनुपालन एवं अतिरिक्त पूंजीगत निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत नियोजन सहित निजी नियोजन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन तथा/या अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा पुनः कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो. उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा.

अतः उपर्युक्त कारणों के लिए, एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित है ताकि बोर्ड पर्याप्त लचीलापन और विवेक से निर्गम को अद्यतन कर सकें.

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मण्डल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें. एक बार प्रस्तावित संकल्प पारित हो जाने पर, इसी तर्ज पर पूर्व में बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में पारित संकल्प का, यह अधिक्रमण करेगा.

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक

प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा।

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध और इच्छुक माना जाएगा।

मद क्रमांक 3: एक निदेशक का निर्वाचन

पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के तहत जारी करने पर दिनांक 21.05.2021 को बैंक

तदनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित करने हेतु एजीएम के नोटिस में कार्यसूची की एक मद शामिल की गई है।

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) विभिन्न एवं प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना / आरबीआई के मास्टर अनुदेशों में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार, जिसके संबंधित भागों को यहाँ इंगित किया गया है, अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं। एक निदेशक का चयन या तो नामांकन की संवीक्षा के उपरांत किया जाएगा (यदि वैध नामांकन रिक्त पदों के बराबर हों) या फिर दिनांक 10 अगस्त, 2021 के चुनाव में, यदि अधिक प्रतियोगियों को बोर्ड की नामांकन समिति/बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा, जैसा भी मामला हो, सक्षम और उचित पाया जाता है तो उसका चयन किया जाएगा और वह पद ग्रहण करेगा। इस चुनाव के उपरांत उच्चतम मत प्राप्ति के आधार पर दिनांक 11 अगस्त, 2021 को वे कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक पदासीन रहेंगे।

1. कानूनी प्रावधान

अधिनियम/योजना/विनियमन/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
पूँजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III (रु. करोड़ में)	धारा 5 (एनई)	● सारभूत हित
	धारा 16 (1)	● सामान्य निदेशकों को निषेध
	धारा 20	● किसी निदेशक को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध
	धारा 51	● नए समनुरूपी बैंक के अधिनियम की कुछ धाराओं की प्रयोज्यता.
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	● मतदान अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	● शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) तक, धारा 9(3एए)	● कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ● कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिये उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडों पर खरा (योग्य एवं उपयुक्त) नहीं उतरता.
	धारा 9 (3बी)	● धारा 9 (3ए) व धारा 9 (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले चुने गए निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार.
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	धारा 13(2)	● गोपनीयता व निष्ठा का दायित्व
	खंड 9(4)	● चुने गये निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	● बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं
	खंड 11	● कार्यालय का निदेशक पद खाली होना
	खंड 11ए	● चुने गये निदेशक को हटाया जाना
	खंड 11बी	● चुने गये निदेशक का रिक्त पद भरा जाना
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998	खंड 12(8)	● अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों के अपने हितों का प्रकटन.
	विनियमन 10	● सयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
	विनियमन 61	● आम बैठक में वोट डालना
	विनियमन 61ए	● मतदान पर संवीक्षक
	विनियमन 61बी	● मतदान और उसके परिणाम के तरीके
	विनियमन 63	● आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियमन 64	● शेयरधारकों की सूची
	विनियमन 65	● चुनाव के लिये उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियमन 66	● नामांकन की जांच
	विनियमन 67	● चुनावी विवाद
	विनियमन 68	● वोट देने के अधिकारों का निर्धारण
	विनियमन 69	● विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
	विनियमन 70	● परोक्षी

द्वारा शेयरों के आबंटन को पूरा करने एक पश्चात वर्तमान में भारत सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा बैंक का 16.51% शेयर कैपिटल धारित किया गया है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड में बैंक के निदेशक के रूप में बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम दो निदेशकों (केंद्र सरकार के अलावा) के लिए पात्र हैं।

वर्तमान में, बैंक के बोर्ड में केवल एक शेयरधारक निदेशक हैं एवं उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए शेयरधारकों द्वारा केंद्र सरकार के निदेशक के अलावा एक और निदेशक का चयन किए जाने की आवश्यकता है।

आरबीआई अधिसूचना क्रमांक: डीबीओडी नं. बीसी नं. 46/29.39001/2007-08, दिनांक 01 नवंबर 2007 एवं नं. डीबीओडी नं. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई 2011 एवं नं. डीबीआर.एपीपीटी. बीसी. नं. 39/29.39.001/2016-17, दिनांक 24 नवंबर 2016 एवं आरबीआई मास्टर अनुदेश पीएसबी के बोर्ड में निदेशकों के चयन हेतु “फिट एवं उचित” मानदंडों को अधिसूचना क्रमांक डीबीआर. एपीपीटी. नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 के माध्यम से जारी किया गया है।	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3ए) और धारा 9 (3ए बी) के अनुसार.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड हेतु चुने गये निदेशकों के लिये योग्य एवं उपयुक्त का मानदंड
वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में नामित सरकारी निदेशक के माध्यम से जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ क्रमांक एफ.नं. 16/83/2013-बीओआई, दिनांक 03 सितंबर 2013 एवं संदर्भ क्रमांक एफ.नं. 16/51/2012-बीओआई, दिनांक 28 अप्रैल 2015 एवं दिनांक 20 जुलाई 2016 के माध्यम से पब्लिक सैक्टर बैंकों में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंडों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों को 25 मार्च 2015 को जारी किया गया है (इसके बाद भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है और यदि कोई संशोधन किया जाता है)		बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का वृहत पारदर्शिता के साथ एवं सार्वजनिक हित में निर्वहन करने हेतु शेरधारक निदेशक के चयन के लिए. इस संदर्भ में अंशकालिक, गैर आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में 1 जून 2011 के दिशानिर्देशों एवं उसके बाद के वर्णित संशोधनों को उम्मीदवारों के उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्धारण में ध्यान रखा जाना चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015.		निदेशकों के संबंधियों को ऋण व अग्रिम देना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

2. भारत सरकार की दिनांक 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना

भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 में विशेष प्रावधान (खंड 14ए) को शामिल कर संशोधित किया है, जो कहता है: चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंक को जहां किसी कार्य या कार्रवाई को करने हेतु किसी कानून की आवश्यकता होती है तथा ऐसा करने के लिए प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान, या कोई नियुक्ति, बैंक के निदेशक मण्डल की किसी समिति के अनुमोदन या समीक्षा की आवश्यकता है साथ ही बैंक संतुष्ट हो कि किसी रिक्ति के रहने की वजह से या सदस्य की पुनरावृत्ति होने से कोरम पूरा न होने की स्थिति न हो, तो निदेशक मण्डल ऐसा कार्य या कार्रवाई कर सकता है.

उपरोक्त के संदर्भ में, राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को कोई भी कार्य या कार्रवाई करने के लिए, या सुरक्षा धारकों की शिकायतों के समाधान हेतु, या किसी भी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में, ऐसा करने के लिए बोर्ड की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिसे इसे कानून द्वारा करने की आवश्यकता है बशर्ते बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि किसी रिक्ति के रहने की वजह से या सदस्य की पुनरावृत्ति होने से कोरम पूरा न होने की स्थिति न हो.

3. दिनांक 25 मार्च, 2015 और 8 जुलाई, 2016 को जारी भारत सरकार के दिशानिर्देश

जैसा कि भारत सरकार के 3 सितंबर, 2013 के पत्र के दिशा-निर्देशानुसार सरकार द्वारा सलाह दी गई है, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड शेरधारक निदेशक की उपयुक्त और उचित स्थिति निर्धारित करते समय, गैर सरकारी निदेशकों (एनओडी) की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और 20 जुलाई, 2016 को दिए गए उनके पत्रों के द्वारा 25 मार्च, 2015 एवं 8 जुलाई, 2016 को यथासंशोधित, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

- संबंधित अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा.

- औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रेकॉर्ड, विश्वसनीयता आदि के संबंध नामितियों की उपयुक्तता का आकलन किया जा सकता है. विश्वसनीयता और उपयुक्तता तक पहुँचने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण की विश्वसनीयता के लिए सिविल कार्रवाई, पेशेवर निकायों से प्रवेश निषेध या निष्कासन, नियामकों और इस तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछली संदिग्ध व्यवसाय प्रथाओं आदि के आधार पर किया जाएगा.

बी) अनुभव

- कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा. एक वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों (एक प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाया) में स्थापित विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाएगी.
- संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव और कुल 20 वर्षों का अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी. सेवानिवृत्ति के एक साल बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सेवानिवृत्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक. पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक को उस पीएसबी के निदेशक मण्डल में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवारत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- प्रीमियर मैनेजमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट के “शिक्षाविद” निदेशक और 20 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर.
- 20 साल के अनुभव वाले सनदी लेखाकार (ऑडिट के अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी.
- हालांकि, योग्यता के आधार पर वार्षिक मामलों में वित्त मंत्री की मंजूरी से अनुभव मानदंड में ढील दी जा सकती है.

- vi. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

सी) शिक्षा

एक एनओडी को व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में विशेषज्ञता के साथ किसी भी स्ट्रीम में कम से कम स्नातक होना चाहिए।

डी) उम्र

सर्व समिति द्वारा अनुशंसा की तारीख तक निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) कार्यानुभव

पेशेवरों/ शिक्षाविदों को समान्यतः अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल का कार्यानुभव होना चाहिए।

एफ) अयोग्यता

- किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी पर पहले से ही कार्यरत एक निदेशक का किसी भी श्रेणी के तहत अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी में एनओडी के नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों, एमपी, एमएलए, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर से जुड़े व्यक्तियों को बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेश करने वालों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं।
- किसी भी व्यक्ति को उस बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में फिर से नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उसने किसी भी श्रेणी के तहत पूर्व में निदेशक के रूप में दो कार्यकाल या 6 साल, जो भी अधिक हो, के लिए सेवा की हो।
- यदि कोई सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही है, तो उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वर्तमान में एक सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्य कर रही है, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार उसी बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

जी) कार्यकाल

एनओडी का बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी के बोर्ड में 6 वर्षों से अधिक के लिए एनओडी शेरधारक निदेशक हो, चाहे वह लगातार या विभिन्न अंतराल पर हो।

एच) पेशेवर प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना, 1970 की धारा 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभकारी के पद के सापेक्ष व्यावसायिक प्रतिबंधों के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है।

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड पर देश के सभी 6 अंचलों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अधिनियम/योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ का सार

शेयरधारकों की सुविधा के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम 1970, (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके बाद से "योजना" के रूप में संदर्भित) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद से "विनियमन" के रूप में संदर्भित) के साथ ही अधिसूचना क्र. डीबीआर.एपीपीटी.नं:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019, अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.नं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007, क्र.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 एवं क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर 2016 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड पर निदेशकों के चुनाव के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड पर भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर दिशानिर्देश एवं भारत सरकार की कार्यालय ज्ञापन संदर्भ क्र. एफ.नं.16/83/2013-बीओआई दिनांक 3 सितम्बर 2013 के साथ पढ़े जाने वाले 25 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर आधिकारिक निदेशक पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देश एवं इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर पोस्ट किए गए दिशानिर्देश हैं।

ऐसे संक्षिप्त को बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 महाराष्ट्र राज्य को या investorservices@unionbankofindia.com पर ई-मेल के द्वारा भी संबोधित निवेदन की प्राप्ति पर इच्छुक अभ्यर्थियों को नामांकन फॉर्म को जमा करने की निर्धारित की गई अंतिम तिथि यथा **मंगलवार, 27 जुलाई, 2021** को या उससे पहले प्राप्त होने पर मेल भी किया जाएगा।

निदेशकों की रुचि

बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उनके शेयरहोल्डिंग और उनके योग्य मौजूदा शेयरधारकों के निदेशकों को छोड़कर कारोबार के उपरोक्त मद में हितबद्ध या उससे संबंधित नहीं माना जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Mangesh Mendke

(मंगेश मांद्रकर)
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05.07.2021

नामांकन पत्र
(विनियमनों का 65 (डी) नियमन संदर्भित)

प्रति
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 021

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके नोटिस दिनांक 05 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, मैं _____ यूनियन बैंक का अंशधारक, _____ समता अंशो, ₹ 10/- प्रति (पूर्ण चुकता) यथा 12 जुलाई, 2021 का धारक (चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित तारीख होने के कारण) एतद्वारा श्री/ श्रीमती _____, श्री/ श्रीमती _____ के पुत्र/ पुत्री/ पत्नी, निवासी _____ को बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 3(i) के प्रावधानों के अनुसार 10 अगस्त, 2021 को अंश धारकों हेतु आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में बैंक के अंश धारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनियन बैंक के निदेशक के रूप में चयनित करने हेतु नामित करता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

शेयरों की संख्या

पंजीकृत फोलियो की संख्या

(यदि डिमेटेरियालाइज्ड नहीं हैं)

डीपी आईडी संख्या

ग्राहक आईडी संख्या

(यदि डिमेटेरियालाइज्ड हैं)

स्थान :

दिनांक :

नोट :

1. यदि नामांकन निकाय कॉर्पोरेट द्वारा किया जा रहा है तो नामांकन पत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा लाये गए संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति होनी चाहिए जिस पर बैठक, जहां इसे लाया गया है, के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।
2. उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयर धारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूने के हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
3. यदि उपरोक्त में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन **निरस्त** किया जा सकता है।

NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65(d) of the Regulations)

To

The Managing Director & CEO

Union Bank of India

Central Office, Mumbai-400021

Dear Sir,

Election of a Director

With reference to your Notice dated July 5, 2021, I _____ a shareholder of Union Bank of India, holding _____ equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on July 12, 2021 (being the cut-off date for participating in the election) do here by nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____

_____ for being elected as a Director of Union Bank of India representing the share holders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on August 10, 2021.

Signature.....

Name.....

No. of Shares.....

Regd. Folio No.....

(If not Dematerialised)

DP. ID. No.....

Client ID. No.....

(If Dematerialised)

Place:

Date:

Notes:

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with ShareTransferAgent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा पत्र

(विनियमनों का 65 नियमन संदर्भित)

मैं, _____ श्री/ श्रीमती _____ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, _____ का निवासी, फोलियो क्रमांक _____/डीपी आईडी क्रमांक _____/ग्राहक संख्या _____ के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के _____ समता अंश, प्रति अंश ₹ 10/- (पूर्ण चुकता) यथा 12 जुलाई, 2021 अर्थात् चुनाव में सहभागिता के लिए निर्धारित तारीख एवं विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव रखते हुए :*

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य मामले में व्यवसाय प्रबंधन/ जोखिम प्रबंधन/ वित्त/ मानव संसाधन/ आईटी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ आदि की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की राय बैंक अथवा जमाकर्ताओं और/ अथवा किसानों, कारीगर एवं दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए, बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा 3ए (और एक साक्ष्य के रूप में मैं एतद्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ) के संदर्भ में उपयोगी होगी, मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि :
 - मैं नामांकन क्रमांक _____ से _____, स्वीकार करता हूँ और
 - मैं यूनियन बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और
 - मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) नियमन 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हूँ और
 - मैं न तो किसी कार्यालय में लाभ के पद पर हूँ और न ही यूनियन बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (संविद्धियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में संविद्धियरी के रूप में वर्णित बैंक का कर्मचारी हूँ और

2. मैं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार उपयुक्त एवं उचित स्तर पाये जाने हेतु विचारार्थ, घोषणा एवं वचन (पीडीयू रूप में), अलग से व्यक्तिगत जानकारी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ.

हस्ताक्षर

नाम

स्थान:

दिनांक :

संलग्नक : उपर्युक्त

उपरोक्त घोषणा पत्र मैं श्री/ श्रीमती _____ द्वारा मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए हैं

हस्ताक्षर सील एवं

सत्यापित करने वाले अधिकारी के नाम सहित

नोट : नामांकी द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एसयूरेन्स के पंजीयक/ उप-पंजीयक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने किए जाने चाहिए.

* जो लागू न हो उसे काट दें.

DECLARATION

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____
_____, a resident of _____ holding _____ equity shares of Rs.10/- each
(fully paid up) in UNION BANK of INDIA under Folio No. _____/DPID No. _____
_____/ClientID No. _____ as on July 12, 2021 i.e. the cut-off date for
participating in the election and having special knowledge or practical experience in:*

- Agriculture and Rural Economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small Scale Industry
 - Any other matter the special knowledge of Business Management/RiskManagement/Finance/Human Resources/IT /Payment and Settlement Systems/etc. And practical experience in which would in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the bank or representing the interest of Depositors and/or Farmers, Workers and Artisans, in terms of Sub Section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (and as an evidence thereof I submit herewith ther relevant testimonials) hereby declare that
 - I accept the nominations numbered from _____ to _____, and
 - I am willing to stand for the election as Director of Union Bank of India and
 - I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and
 - I neither hold any office of profit nor an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and
2. I also submit a separate Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Reserve Bank of India directives to consider for fit and proper status.

Signature.....

Name.....

Place:

Date:

Encl: as above

The above declaration was signed before me by Shri/Smt. _____

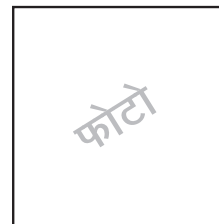
Signature with Seal and

Name of the attesting official

Note: The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

*Delete whichever is not applicable.

उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन पत्र
(उचित अनुलग्नकों सहित)



क्र. सं.	विवरण	दी जा रही सूचना								
I. व्यक्तिगत विवरण										
1.	पूरा नाम	<table border="1"> <tr> <th>पहला नाम</th><th>मध्य नाम</th><th>अंत का नाम</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>	पहला नाम	मध्य नाम	अंत का नाम					
पहला नाम	मध्य नाम	अंत का नाम								
2.	पिता का नाम									
3.	लिंग (पु/स्त्री/अन्य)									
4.	वर्तमान पता									
5.	ई-मेल और वैकल्पिक ई-मेल :									
	दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित :									
	मोबाईल नंबर :									
6.	राष्ट्रीयता									
7.	जन्मतिथि (दि/माह/वर्ष) और आयु	-- / -- / -- -- आयु : -- वर्ष -- महिना								
8.	शैक्षणिक योग्यता									
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)									
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)									
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) (बी) चार्ज जहां प्रस्तावित निदेशक का कर निर्धारित किया जाता है (आय कर क्षेत्राधिकार)/आय कर सर्कल/वार्ड का नाम एवं पता	<table border="1"> <tr> <th>भरने की तारीख</th><th>भुगतान की गई कर राशि (आईएनआर)</th></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	भरने की तारीख	भुगतान की गई कर राशि (आईएनआर)						
भरने की तारीख	भुगतान की गई कर राशि (आईएनआर)									
	(सी) भरी गई विवरणी(णियों) एवं विगत 3 वर्षों में भुगतान किया गए कर विवरण									
12.	स्थायी पता									
13.	संबन्धित ज्ञान एवं अनुभव पर संक्षिप्त राइट अप के रूप में विवरण देते हुए लेखांकन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे किसी एक या अधिक मामलों में संबंधित ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा.									

14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव की संक्षिप्त जानकारी)												
15.	विगत व्यवसाय के कम से कम विगत दस वर्ष की अवधि में पूर्व में किए गए व्यवसाय, जहां कार्य किया हो उन संगठन(नों) का पूरा पता, कार्य ग्रहण की तारीख, कार्यमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम, आदि सहित.												
16.	चार्टर्ड एकाउंटेंट के मामले में, निम्नलिखित जानकारी दें:												
	(ए) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या:												
	(बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तारीख:												
	(सी) पंजीकृत फर्म का नाम और पता:												
	(डी) लेखापरीक्षा का विवरण : वर्तमान में फर्म द्वारा या आपके द्वारा किया जा रहा है :												
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत/ चालू/ ऋण खातों) के सहित बैंकर(रों) जहां आप प्रमुख खाता धारक हैं :	<table><tr><th>बैंक नाम</th><th>शाखा</th><th>खाता का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				बैंक नाम	शाखा	खाता का प्रकार	खाता संख्या				
बैंक नाम	शाखा	खाता का प्रकार	खाता संख्या										
18.	अंशधारिता का विवरण, यदि किसी संस्था में, आपके या पति / पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा भौतिक या डिमेटेरियलाइज्ड रूप में आयोजित किया गया हो. (डीमैट / अंशधारिता का प्रमाणपत्र संलग्न करें)												
19.	बैंक के निदेशकशिप के लिए अन्य कोई वांछित जानकारी :												
II. प्रस्तावित निदेशक के संगत संबंध													
20.	रिश्तेदारों की सूची, कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 2 (77) और कंपनियों के नियम 4 (परिभाषा की परिभाषा) नियम, 2014 का संदर्भ लें, यदि कोई हो, जो किसी बैंक से जुड़े हों:												
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें:												
	(ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें.												
	(बी) लाभकारी स्वामित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 एवं लागू एमसीए के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम का संदर्भ लें :												
	(सी) ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):												

22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अर्थ में पर्याप्त हित हैं.	कंपनी/ फ़र्म का नाम	
		निगमन का देश	
		अंशों की संख्या	
		प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य	
		अंशधारिता का कुल अंकित मूल्य	
		कुल चुकता पूंजी के % के रूप में अंशधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य एवं % के रूप में)	
		क्या यह संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 8 कंपनी है	
23.	विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं की होल्डिंग का विवरण.		
24.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान या पूर्व में बोर्ड / सलाहकार आदि का सदस्य है. (उस अवधि का ब्यौरा जिस दौरान ऐसे कार्यालय में हो/ रहा था)		
25.	अगर किसी भी संस्था के साथ किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (उल्लेख किए जाने वाले एसोसिएशन की प्रकृति) के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण.		
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों से जुड़ी किसी भी इकाई से जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण.		
27.	निधि एवं गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हैं, वर्तमान में व्यक्तिगत और/अथवा उपरोक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की जा रही हों.		
28.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां एक व्यक्ति के रूप में या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाएं, पूर्व में बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य उधार देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में चुककर्ता अथवा जानबूझ कर चूक करने वाली घोषित की गई हों.		
III. पेशेवर उपलब्धियों का रिकॉर्ड			
29.	निदेशकशिप के लिए आवश्यक व्यावसायिक उपलब्धियाँ.		
IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध हुई कार्यवाही, यदि कोई हो			
30.	(ए) एक पेशेवर संघ / निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्यवाई का विवरण, यदि कोई है, तो लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया है या किसी भी समय किसी भी पेशे / व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.		
	(बी) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण.		
31.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं को दोषी ठहराया गया हो.		
32.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या प्रारम्भ हुआ हो या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो.		



33.	यदि एमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त रहा हो, तो उसका विवरण.	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित किसी भी अयोग्यता पाई जाती है, तो उसका विवरण.	
35.	यदि दिवालिया घोषित किया गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण.	
36.	यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का पाया जाता है और ऐसा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण.	
37.	(ए) यदि किसी अपराध के संबंध में किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण.	
	(बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो उसका विवरण.	
38.	पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन किसी भी कार्यालय में लाभकारी पद पर कार्य कर रहा है तो उसका विवरण.	
39.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर (21) से (26) में उल्लिखित किसी भी संस्था के रूप में किसी पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी द्वारा मामलों के अधीन जांच / सतर्कता / पूछताछ की गई है, तो उसका विवरण.	
40.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण.	
41.	यदि किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा पेशेवर आदेशों या गतिविधियों के कारण अदालत द्वारा फटकार लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित, स्थगित, रोक दी गई, या अन्यथा मंजूरी दे दी गई है, तो उसका विवरण. (तथापि प्रत्यक्षी के लिए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में उलट दिए गए हैं/पूर्णतः रद्द कर दिया गए हैं, ऐसे मामलों में जहां अधिकार क्षेत्र की सीमा में कमी जैसे तकनीकी कारण हों, न कि योग्यता, निर्णय उलट/रद्द कर कर दिये गए हैं, तो उनका उल्लेख करना आवश्यक होगा. यदि अस्थायी आदेश हैं और अपीलीय/अदालत की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए).	
V. सामान्य जानकारी		
42.	यदि सनदी लेखाकार, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर हैं और वर्तमान में किसी बैंक में किसी भी पेशेवर के रूप में काम कर रहे हैं/किया हो, तो बैंक के नाम और बैंक के साथ कार्य करने की अवधि सहित विवरण दें .	
43.	यदि कोई सांसद/एमएलए/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद पर है, तो उसका विवरण दें .	

VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, “उपयुक्त और उचित” का आकलन करने हेतु कोई अन्य संबंधित जानकारी हो तो इसका विवरण दें .	
वचन पत्र मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है. मैं अपनी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं, जो उपरोक्त के संबंध में वांछनीय हों, के संबंध में, जितनी जल्दी हो सके, बैंक को पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूँ.	
मैं बैंक के साथ निष्पादन हेतु लिए आवश्यक “अनुबंध पत्र” भी निष्पादित करने का वचन देता हूँ. स्थान : दिनांक :	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
संलग्नक : नोट : 1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया कालानुक्रमिक क्रम में और उपयुक्त संदर्भ के साथ जानकारी संलग्न करें 2. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नक सहित) हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है.	
नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ बोर्ड द्वारा स्वयं को संतुष्ट होने की टिप्पणी की उपरोक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है.	
स्थान : दिनांक :	अध्यक्ष के हस्ताक्षर

NOTICE OF 19th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **19th (Nineteenth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on **Tuesday, 10th August, 2021** at **11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) **through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)** facility to transact the following business:

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2021**, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:

Item No. 2

Raising of Capital

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("Act"), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("Scheme"), the Union Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("Regulations") and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [the SEBI (ICDR) Regulations], The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [the SEBI (LODR) Regulations] as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India), Regulations, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI,

notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s)/ prospectus or such other document(s), in India or abroad such number of equity shares and / or Preference Shares (whether Cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms and conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) for an aggregate amount not exceeding ₹3,500 crore (Rupees Three Thousand Five Hundred crore only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹6834.74 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred Thirty Four Crore and Seventy Four lakhs only) will be within the total authorized capital of ₹10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore Only) of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Limited Liability Partnerships (LLPs), Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs")/ Foreign Portfolio Investors (FPIs), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Alternate Investment Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations,

Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity/preference shares/securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Follow on Public Issue, Rights Issue to public shareholders with or without Promoter/ Promoter group shareholders forgoing their entitlement to equity shares, Depository Receipts/ADR/GDR/Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures, Employees Stock Option Scheme or Employee Stock Purchase Scheme of the Bank or such other mode of issue or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment of equity/preference shares/securities be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department for Promotion of Industry and Internal Trade-Ministry of Commerce and Industry (DPIIT),

Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Government of India at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations:

- The allotment of Securities shall only be made to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution."
- The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the ICDR Regulations.
- The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange

Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/

securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item No. 3:

To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as **“the Act”**) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as **“B R Act”**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as **“the Scheme”**) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as **“the Regulations”**) and RBI Master Directions on ‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on

the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR. Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 (hereinafter referred to as “**RBI Master Directions**” and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 8th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors in Public Sector Banks (hereinafter referred to as “**GOI Guidelines**” and further amendments thereto, if any) and **to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:**

“RESOLVED THAT One Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from the date following that on which he/she is elected / deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.”

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

Mangesh Mandrekar

Place : Mumbai
Date: 05.07.2021

(MANGESH MANDREKAR)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020, 28th September 2020, 31st December 2020 and 13th January 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/

CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI Circular”) and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10th July 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the business **Item** Nos. 2 & 3 being unavoidable, be transacted at the 19th AGM of the Bank through VC/OAVM.

- The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- KFin Technologies Private Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.
- In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at <https://evoting.kfintech.com>.
- As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/ OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join

the VC/OAVM please visit <https://emeetings.kfintech.com> with the credentials as mentioned in the notice para no. 14 (vii). The helpline toll free no. 1800 309 4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.

- g. Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, scrutinizer etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come-first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the 19th AGM through VC/OAVM Facility.
- h. Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- i. Since the AGM is being held through VC/OAVM the physical attendance of members is dispensed with and no proxies would be accepted by the Bank pursuant to MCA Circulars.
- j. Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by **5 PM on Sunday, 8th August, 2021**. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com> by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 12 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address investorservices@unionbankofindia.com. Such questions by the

Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.

- k. The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink:<https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>
- l. Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s Datamatics Business Solutions Limited before the cut-off date i.e. **Wednesday, 4th August, 2021**, in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding shares shall update their records at the earliest to enable us to send the Notice of AGM to their registered email id.

3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to investorservices@unionbankofindia.com, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Thursday, 5th August, 2021**.

5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, 4th August, 2021 to Tuesday, 10th August, 2021** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/ unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2013-14(Interim) to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2013-14(Final), the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx> Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link

7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

- (a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant ("DP") so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request

received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.

- (b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at the following address:

Datamatics Business Solutions Ltd.,

Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B, MIDC,
Crosslane, Marol,
Andheri (East), Mumbai - 400 093.
Tel. No.: 022 – 66712001-6.

- (c) The format for providing Bank account details is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.
- (d) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.
- (e) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

8. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

9. COPIES OF ANNUAL REPORT

Considering COVID-19 pandemic and lock down restrictions, copies of the Annual Report 2020-21 in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The

Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

10. CUT OFF DATE

FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ as Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as at the close of business hours i.e. of **12th July, 2021** shall be entitled to participate in the election i.e. nominate and contest in the election of one director from amongst Shareholders other than Central Government as mentioned in business Item No.3 of the Notice.

FOR E-VOTING:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of business Item nos. 1, 2 & 3 shall be reckoned as on **Wednesday, 4th August, 2021**.

11. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Wednesday, 4th August, 2021** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible vote.

12. INFORMATION ON ACCOUNTS AND OTHER RELATED QUERIES

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested

to write to the Bank by email at investorservices@unionbankofindia.com, which should reach the Bank before the date of the AGM latest **by 5 PM on 8th August, 2021** so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the AGM. Please note that members' questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. **4th August, 2021**.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit <https://emeetings.kfintech.com> and click on "**post your queries here**" to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by **5 pm on 8th August, 2021**

13. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI has mandated submission of permanent account number (PAN) and bank details by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN details to their Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Bank's RTA. Securities of listed entities would be transferred in dematerialised form only, effective from 1st April, 2019. In view of the same members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

14. BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS:

- i. Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.
- ii. The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast

their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.

- iii. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system ("remote e-voting") during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.
- v. The remote e-voting period commences on **Saturday, 7th August, 2021 (9:00 am IST)** and ends on **Monday, 9th August, 2021 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Wednesday, 4th August, 2021** may cast their vote by remote e-voting for business Item nos. 1, 2 & 3. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- vi. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. **Wednesday, 4th August, 2021**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at investorservices@unionbankofindia.com along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at evoting@kfintech.com sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on 9th August, 2021**.
- vii. The process and the manner for remote e-voting and e-voting during AGM is as under:
As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in **Demat mode** are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through Depositories.

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: I. URL: https://eservices.nsdl.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password. IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote
2. User not registered for IDeAS e- Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com II. Select "Register Online for IDeAS" III. Proceed with completing the required fields. 3. User not registered for NIDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. Proceed with completing the required fields. 4. By visiting the e-Voting website of NSDL I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/ II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section. III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	2. User not registered for Easi/ Easiest I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. Proceed with completing the required fields. 3. By visiting the e-Voting website of CDSL I. URL: www.cdslindia.com II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP (E-voting Service Provider) where the e-Voting is in progress.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password

option available at above mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43.

Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through their Depository Participants.

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Login method for Non-Individual Shareholders and Shareholders holding securities in Physical Form

- Initial Password is provided in the body of the email.
- Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No. /DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFinTech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new

password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, \$, etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- You need to login again with the new credentials.
- On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
- On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- Click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at info@jmja.in and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVEN No.....'

- viii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at <https://evoting.kfintech.com> under help section or call on 1800 309 4001 (toll free).
- ix. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFintech or send an email to evoting@kfintech.com or call 1800 309 4001 (Toll Free).
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Wednesday, 4th August, 2021** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
- xi. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFintech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- xii. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- xiii. M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- xiv. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- xv. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within two working days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him in writing.

15. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM along with the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of KFintech i.e. <https://evoting.kfintech.com>. The voting results and consolidated scrutinizer's report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

16. SCRUTINISERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the business Items. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

17. OUTCOME OF MEETING

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolution(s).

18. RECORDED TRANSCRIPT

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

19. QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE FOR SHAREHOLDER DIRECTOR

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, and detailed herein below:

- (A) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall
 - (a) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:
 - agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation

- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

- (b) represents the interests of depositors; or
- (c) represents the interest of farmers, workers and artisans
- (B) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status'.
- (C) Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

20. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of subsection (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/2007-

08 dated 01st November 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011, RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 read with No.DBOD.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification" and further amendment thereto if any) and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September 2013, F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector Banks on 25th March 2015 (hereinafter referred to as "the GOI Guidelines" and further amendment thereto if any)

21. PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as on **12th July, 2021** shall be entitled to participate i.e. nominate and contest in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as on **4th August, 2021** shall be entitled to vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

22. LIST OF SHAREHOLDERS

A list of shareholders of the Bank as on 12th July, 2021 will be available for sale on and from 19th July, 2021 till 27th July, 2021 on payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by making online transfer to the bank account No. 378901010036984, IFSC UBIN0537896 of Union Bank of India, Nariman Point MMO Branch or by means of a demand draft in favour of "UNION BANK OF INDIA" payable at Mumbai, along with a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's Central Office at 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 27th July, 2021. However, the intending candidates may also inspect the Register of Members and take extracts there from at their own cost. It may be noted that the last date

for submission of nominations is **Tuesday, 27th July, 2021 by 5.00 P.M.**

As per SEBI (LODR) Regulations, 2015, for providing Remote E-Voting facility to the shareholders of the Bank for which cut-off date i.e., 4th August, 2021 has been fixed, all those shareholders who has taken list of shareholders of the Bank by 27th July, 2021 by paying requisite amount, may obtain updated list of shareholders as on 4th August, 2021 without paying any additional fee.

The Register of Members will be open for inspection by the shareholders, at the Investor Services Department of the Bank at Mumbai, on all working days commencing from 21st July 2021 till 26th July 2021 between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on all working days for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Members or request the Bank for computer – prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or part thereof.

23. NOMINATIONS

i) Validity of nominations

In terms of Regulation 65 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, and in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007, No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 and GOI Guidelines and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and guidelines, Nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding, as on 12th July, 2021, a minimum of 100 shares in Union Bank of India either in physical mode or in electronic/dematerialised mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till 10th August, 2021 and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she was elected.
- (b) as on the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified from being a director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 dated 1st November 2007, No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines from being a director.

- (c) There are no calls in arrears in respect of the shares held by him.
- (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Company Secretary, Union Bank of India, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State, and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (e) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and

Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998 and they are as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice.

- (f) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Performa annexed (the Performa is also available on the Bank's Website: www.unionbankofindia.co.in. The e-mail id is investorservices@unionbankofindia.com

ii) Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors and being qualified as per the conditions mentioned above may please submit –

- (a) The nominations from minimum of 100 shareholders together with a declaration from the candidate as prescribed under the Regulations and as mentioned in (d) (e) (f) above are delivered in a separate sealed envelope to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., **on or before Tuesday, 27th July, 2021 by 5.00 P.M.**
- (b) A Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Performa provided by the Reserve Bank of India to consider fit and proper status, in a separate sealed envelope addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's Central Office 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra State, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., **on or before Tuesday, 27th July, 2021 by 5.00 P.M.** i.e. sufficiently before the last date of receipt of nomination to enable the Nomination Committee of the Board/ Board of Directors of the Bank to find out fit and proper status as per the Reserve Bank of India Notification and GOI Guidelines as per detail mentioned in this Notice.

iii) Withdrawal of Candidature.

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 5.00 p.m. on Tuesday, 3rd August, 2021** by sending a letter addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 or scanned and signed letter over e-mail at investorservices@unionbankofindia.com.

24. SCRUTINY AND ELECTION OF DIRECTORS

- (a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Wednesday, 28th July, 2021** i.e. the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.
- (b) Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) / Board of Directors as the case may be in terms of RBI Directions and Govt. of India Guidelines. As restrictions imposed by RBI Directions and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- (c) The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/ Board of Directors seek further information/ documents from the Candidates.
- (d) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) shall be subjected to a Due Diligence Check by the Nomination Committee of the Board / Board of Directors in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 1st November, 2007, 23rd May 2011 and 24th November 2016 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019 issued by the Reserve Bank of India and relevant GOI Guidelines.
- (e) If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected and his / her name and address shall

be published in newspapers as so elected. In such an event item No.3 of the Annual General Meeting shall not take place in the meeting.

- (f) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than one, the candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his / her name and address will be published in newspapers.

24.A TENURE OF OFFICE OF DIRECTORS

Director elected to fill in an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from 29th July, 2021 (if only one valid candidate is found on scrutiny). If the nominations of more than one candidate are found valid after scrutiny, then the vacancy for one Director will be filled up on the date of the meeting and the new director will assume office from 11th August, 2021.

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme and RBI Master Directions, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election, provided, that no such Director shall hold office continuously or intermittently for a period exceeding six years under any relevant category.

24.B REMOVAL OF A DIRECTOR

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) and Section 9(3AA) of the said Act.

24.C ELECTION DISPUTES

Disputes, if any, in this regard, will be settled as per Regulation 67 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO.2:

Raising of Capital:

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹10,000 crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31st March 2021 was ₹6,406.84 crore. After QIP issuance, the Paid up capital of the Bank has been increased to ₹6,834.74 crore on 21.05.2021.

Post QIP, shareholding of Government of India in the Bank is 83.49% of the total paid-up capital of the Bank. The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2021 was as under:

Capital Adequacy Ratios - Basel III

(Rs. in crore)

Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2020 (Pre Amalgamation)
Total Risk Weighted Assets	NA	5,51,521	2,94,984
Total Capital Funds		69,262	37,790
CET 1 Capital		50,001	27,714
Tier 1 Capital		57,090	31,714
CRAR (%)	10.875	12.56	12.81
CET 1 (%)	7.375	9.07	9.40
Tier 1 (%)	8.875	10.35	10.75
Tier 2 (%)	NA	2.21	2.06

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 1.875 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

In order to maintain the Capital and Leverage Ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital up to **₹3,500 crore (Rupees Three Thousand Five Hundred crore Only)**.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and/or Preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms. This proposed resolution once passed it will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Extraordinary General Meeting held on 30th December, 2020.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

ITEM NO. 3: ELECTION OF ONE DIRECTOR

Presently, Shareholders other than Government of India hold 16.51% of the share capital of the Bank after completion of allotment of shares by the Bank on 21.05.2021 upon issuance under Qualified Institutions Placement. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Union Bank of India is entitled to have a maximum of two directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) on the Board of the Bank.

At present the Bank is having the only one Shareholder Director on the Board of the Bank and as per the aforesaid Act, one more director is required to be elected by the shareholders other than Central Government, to fill up the aforesaid vacancy.

Accordingly an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of one director representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/ Scheme/ Regulations/Notification/RBI Master Directions, the relevant portions of which are indicated hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nomination is equal to the number of vacancy) subjected to being found fit and proper by the Nomination Committee of the Board /

Board of Directors of the Bank, than he/she deemed to be elected and assume office, the date following the date on which he/she is deemed to be elected, or in subsequent election on 10th August 2021, if there are more contestants subjected to being found fit and proper by the Nomination Committee of the Board / Board of Directors of the Bank as the case may be. After such election on the basis of being getting highest vote, he/she will assume office from 11th August 2021 and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

1. LEGAL PROVISIONS

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Capital Adequacy Ratios - Basel III (Rs. in crore)	Section 5(ne)	• Substantial Interest
	Section 16 (1)	• Prohibition of common Directors
	Section 20	• Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
	Section 51	• Applicability of certain sections of Act to a corresponding new bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	• Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	• No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A) (A) to (C), Section 9(3AA)	• Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	• Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	• Term of office of elected directors
	Clause 10	• Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	• Vacation of office of Director
	Clause 11A	• Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	• Filling of vacancy in the office of elected Director
	Clause 12(8)	• Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10	• Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	• Voting at General Meetings
	Regulation 61A	• Scrutineers at Poll
	Regulation 61B	• Manner of taking poll and result thereof
	Regulation 63	• Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	• List of Shareholders
	Regulation 65	• Nomination of candidates for election
	Regulation 66	• Scrutiny of nominations
	Regulation 67	• Election disputes
	Regulation 68	• Determination of voting rights
	Regulation 69	• Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	• Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 /29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and No.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019.	Pursuant to Section 9(3AA)&Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks
Office Memorandum ref. No. F.No.16/83/2013-BOI dated 03rd September 2013 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and Government of India as an Advice through its Government Nominee Directors in the Board of the Bank. And guidelines vide reference no.F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector Banks on 25th March 2015 (hereinafter referred to as "the GOI Guidelines" and further amendment thereto if any)		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, in this direction the guidelines dated 01st June 2011 regarding appointment of part-time non-official directors also be kept in mind while carrying out determination of 'fit and proper' status of the Candidates and subsequent related amendment thereto as mentioned herein.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors.
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions related to Independent Director

2. GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION DATED 25TH JANUARY 2021

The Govt. of India vide Notification dated 25th January 2021 amended the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by inserting a Special Provision (Clause 14A) which states: Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

In terms of the above the Board of Directors of a Nationalised Bank are empowered to exercise the powers of a Committee of the Board to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

3. GOVERNMENT OF INDIA GUIDELINES DATED 25TH MARCH 2015 AND 08TH JULY 2016

As advised by Govt. of India vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of Board shall keep in mind the Guidelines issued by GOI for Appointment of Non Official Directors (NOD), while determining-Fit and Proper Status of the Shareholder Director. The GOI has forwarded revised Guidelines dated 25th March 2015 and amendments dated 8th July 2016 to Public Sector Banks vide its letters dated 28th April 2015 and 20th July, 2016, the gist of which is as under:

a) General

- i. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- ii. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and

similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

- i. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- ii. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
- iii. Academicians, Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- iv. Chartered Accountants with 20 years 'experience (excluding audit experience)' would also be preferred.
- v. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits.
- vi. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank/Financial Institution (FI)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/ RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- iv. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as NOD in any Nationalised Bank/PSB.
- v. If Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as NOD in the same bank.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD /Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

EXTRACT OF ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (hereinafter referred to as “the Act”) the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “the Scheme”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) as well as **RBI Master Directions** on ‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 2nd August 2019, Notification No.DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007, No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and No.DBR.Appt BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and Office Memorandum ref. No. F.No.16/83/2013-BOI dated 03rd September 2013 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector banks on 25th March 2015 and subsequent guidelines issued by Government of India posted in the Bank’s website www.unionbankofindia.co.in.

Such extracts will also be mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank’s Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 Maharashtra State or by way of an email at investorservices@unionbankofindia.com on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **Tuesday, 27th July, 2021**.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors, KMPs and their relatives of the Bank is interested or concerned in the aforementioned items of business except to the extent of their shareholding.

By order of the Board of Directors

For UNION BANK OF INDIA

Mangesh Mandrekar

(MANGESH MANDREKAR)
COMPANY SECRETARY

Place : Mumbai
Date: 05.07.2021



NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65(d) of the Regulations)

To

The Managing Director & CEO

Union Bank of India

Central Office, Mumbai-400021

Dear Sir,

Election of a Director

With reference to your Notice dated July 5, 2021, I _____ a shareholder of Union Bank of India, holding _____ equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on July 12, 2021 (being the cut-off date for participating in the election) do here by nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____

_____ for being elected as a Director of Union Bank of India representing the share holders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on August 10, 2021.

Signature.....

Name.....

No. of Shares.....

Regd. Folio No.....

(If not Dematerialised)

DP. ID. No.....

Client ID. No.....

(If Dematerialised)

Place:

Date:

Notes:

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



DECLARATION

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____, a resident of _____ holding _____ equity shares of Rs.10/- each (fully paid up) in UNION BANK of INDIA under Folio No. _____/DPID No. _____/ClientID No. _____ as on July 12, 2021 i.e. the cut-off date for participating in the election and having special knowledge or practical experience in:*

- Agriculture and Rural Economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small Scale Industry
 - Any other matter the special knowledge of Business Management/RiskManagement/Finance/Human Resources/IT /Payment and Settlement Systems/etc. And practical experience in which would in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the bank or representing the interest of Depositors and/or Farmers, Workers and Artisans, in terms of Sub Section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (and as an evidence thereof I submit herewith ther relevant testimonials) hereby declare that
 - I accept the nominations numbered from _____ to _____, and
 - I am willing to stand for the election as Director of Union Bank of India and
 - I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and
 - I neither hold any office of profit nor an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and
2. I also submit a separate Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Reserve Bank of India directives to consider for fit and proper status.

Signature.....

Name.....

Place:

Date:

Encl:as above

The above declaration was signed before me by Shri/Smt. _____

Signature with Seal and
Name of the attesting official

Note: The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

*Delete whichever is not applicable.

Personal Information, Declaration and Undertaking by the Candidate
(with appropriate enclosures)



Sr. No.	Particulars	Information Disclosed								
I.	Personal Details									
1.	Name in Full	<table border="1"> <thead> <tr> <th>First Name</th> <th>Middle Name</th> <th>Last Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	First Name	Middle Name	Last Name					
First Name	Middle Name	Last Name								
2.	Father's Name									
3.	Gender (M/F/Others)									
4.	Present Address									
5.	E-mail address & alternate e-mail address:									
	Telephone Number with STD code:									
	Mobile Number:									
6.	Nationality									
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	-- / -- / ---- Age : -- years -- months								
8.	Educational qualifications									
9.	Director Identification Number (DIN)									
10.	Aadhaar Number (Optional)									
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date of filing</th> <th>Amount of tax paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Date of filing	Amount of tax paid (INR)						
Date of filing	Amount of tax paid (INR)									
	(c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years									

12.	Permanent address				
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company				
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following:				
	(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):				
	(b) Date of registration with the ICAI:				
	(c) Name and Address of the registered firm/s:				
	(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
II. Relevant Relationships of proposed director					
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
21.	List of entities in which:				
	(a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]:				
	(b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:				

	(c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):																	
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	<table border="1"> <tr> <td>Name of the company / firm</td><td></td></tr> <tr> <td>Country of incorporation</td><td></td></tr> <tr> <td>Number of shares</td><td></td></tr> <tr> <td>Face Value of each share</td><td></td></tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td><td></td></tr> <tr> <td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td><td></td></tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr> <tr> <td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td><td></td></tr> </table>	Name of the company / firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Shareholding as % of total Paid up Capital		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																		
Country of incorporation																		
Number of shares																		
Face Value of each share																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total Paid up Capital																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																		
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.																	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).																	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.																	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.																	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.																	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.																	
III. Records of professional achievements																		
29.	Professional achievements relevant for the directorship.																	
IV. Proceedings, if any, against the proposed director																		
30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.																	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.																	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.																	

32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
v. General Information		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	

VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	
Undertaking I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.	
I also undertake to execute a 'Deed of Covenants' as required to be executed with the bank. Place : Date : Signature of Candidate	
Enclosures : Note : 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference 2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.	
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
Place : Date : Signature of the Chair	